६

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
मॉडर्न पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, सिम्भावली,
वि. क्षे. सिम्भावली तह. गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद

पत्रांक सं. शि.त./ 6527-34 /2001-02 दिनांक 17-2-2002

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 16-2-2002 में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या 646/15-6-97-18 एस(7)89 शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध:- विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती।

2- प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।

3- विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से संबंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्पुष्टि के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।

4- समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।

5- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवनशुल्क/कैपिटेशनफीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।

6- मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महँगाई भत्ता देने को जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहेंगे।

7- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा यहाँ कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया

PRINCIPAL
MODERN PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL
Hapur

Principal
Modern Public School
Simbhaoli (Ghaziabad)

M. M. SINGH
Manager
Modern Public School
Hatora Road, Simbhaoli

PRINCIPAL
MODERN PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL

Manager

(2)

8- विद्यालय मे शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढ़ाई जायेगी । विद्यालय मे अस्वीकृत पुस्तको का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

9- विद्यालय मे सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा ।

10- विद्यालय मे समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

11- विभाग मे कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।

12- विभागीय आदेशो का पालन किया जाये ।

13- विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए ।

14- विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमो और समय समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालन करेगा ।

15- विभागीय आदेशो /नियमो की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

16- जिन विद्यालयो के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रो को बैठाये तथा भविष्य मे विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षो का निर्माण कराये ।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पृ०सं० शि०स०/ /2000 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० इलाहाबाद ।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी -- गाजियाबाद --
4- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी -- -- -- गाजियाबाद
5- शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र -- -- --
6- क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी [illegible]
7- समाज कल्याण अधिकारी -- -- -- --

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

PRINCIPAL
MODERN PUBLIC HIGHER
SECONDARY SCHOOL
Simbhaoli Distt. [illegible] (U.P.)